जिला भीलवाडा .....अपीलांट

बनाम

01. नन्दु पुत्री भवाना पत्नि घीसा जाति धाकड निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
02. मांगी बाई पत्नि हीरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
03. शोभालाल पिता हीरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पापडबड तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
04. सरपंच ग्राम पंचायत तिलस्वा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा .....रेस्पोडेंटस

उपस्थितः—
छीतरलाल धाकड अधिवक्ता अपीलांट

अपील विरुद्व नामान्तरकरण संख्या—164
दिनांक 24.06.1985 ग्राम पापडबड

दिनांक 04.01.2018

:—निर्णयः—

अपील नामान्तरकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है अपीलांट ने एक नियमित अपील विरुद्व नामान्तरकरण संख्या—164 विरुद्व रेस्पोडेंट इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्वर्गीय भवाना पिता खाना जाति धाकड निवासी पापडबड अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता है जिनकी मृत्यू दिनांक 25.12.1984 को हो चुकी है जिनकी मौजा पापडबड में कृषि खातेदारी भूमि स्थित है। स्वर्गीय भवाना पिता खानां जाति धाकड की मृत्यू के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारी में अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 1 के अलावा कोई विधिक वारीस नही है। भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियां के अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का तिलस्वा द्वारा भवाना पिता खाना के फोत हो जाने पर उनकी खातेदारी कृषि भूमि का नामान्तरण संख्या 164 दिनांक 24.06. 1985 प्रस्तुत किया उक्त नामान्तरकरण में भवाना पिता खाना के विधिक उत्तराधिकारी उनकी पुत्रीया अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 1 का नाम अंकित नही किया जाकर अपीलांट के पिता के भाई के लडके हीरालाल पिता मोडा धाकड के नाम गोदपुत्र की हैसियत से नामान्तरकरण कर दिया जबकि हीरालाल के द्वारा कोई रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत नही किया गया था। दौराने इंतकाल भवाना पिता खाना धाकड कि दोनो पुत्रीया विधिक उत्तराधिकारी के रुप में जिवित होकर आज भी विधमान है। रेस्पोडेंट संख्या 4 सरपंच ग्राम पंचायत ने भी अपीलांट को बिना सूने एंव बिना जॉच पडताल के रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के पिता के नाम पर नामान्तरकरण गोदपुत्र की हैसियत से कर दिया जबकि कोई गोदनामा हीरालाल रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के पिता द्वारा पेश नही किया गया। अपीलांट को बिना सूने उसके पीछे से जो विधि विरुद्व नामान्तरकरण आदेश प्रदान किया गया है एंव अपीलांट को उसके पैतृक विधिक उत्तराधिकारों से वंचित किया है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 भवाना पिता खाना धाकड की पुत्रीया होते हुये भी नामान्तरकरण में इस बात का नोट अंकित किया कि भवाना पिता खानां के कोई जायन्दा लडका लडकी नही होने से गोद में हीरालाल को रखा गया इस कारण हीरालाल के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया इसे आधार मानते हुये भवाना पिता खाना की पुत्रीयों को उनके पिता की विरासत की सम्पती के हक से वंचित रखा गयां तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 को कांनूनी रुप से अपीलांट को प्राप्त होने वाली भूमि जायदाद

04/01/18
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलिया (भीलवाड़ा)

स्वीकार फरमाकर नामान्तरकरण ... द्वारा दिये गये आदेश को अपास्त कर अपीलांट के ... जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

अपील दर्ज रजिस्टर करवाई जाकर रेस्पोडेंट की तलवी जरिये नोटिस मय अपील मेमो भेज करवाई गई।

रेस्पोडेंट को जवाब प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर पदान करने के उपरान्त दिनांक 07.11.2017 को रेस्पोडेंट जवाब प्रस्तुत नही करना चाहने से जवाब बंद किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत की।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकरान की बहस सूनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी शंकरी के पिता स्वर्गीय भवाना पिता खाना धाकड निवासी पापडबड की मृत्यू दिनांक 25.12.1984 को हो चुकी है जिनकी मौजा ग्राम पापडबड पटवार हल्का तिलस्वा में जायदाद स्थित थी। विवरण आराजी नं0 60, 61/1, 102, 107, 132/1 एंव 180/1 कुल किता 7 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। जो जमाबंदी सम्वत् 2041 से 2044 खाता संख्या 33 से स्पष्ट है। जमाबंदी पत्रावली में पेश है। अपीलार्थी एंव रेस्पोडेंट खाता संख्या 1 के पिता की मृत्यू के पश्चात दिनांक 24.061985 को उक्त वर्णित जायदाद का नामान्तरण स्वर्गीय भवाना पिता खाना धाकड निवासी पापडबड के पश्चात उनके विधिक वारिसान अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 1 नन्दु के नाम पर नही खुल कर रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के पिता हीरलाल पिता मोडा धाकड के नाम पर गोदपुत्र की हैसियत से खोल दिया। जबकि हीरालाल द्वारा कोई रजिस्टर्ड गोदनामा पेश नही किया गया और नामान्तरकरण में अंकित किया कि भवाना पिता खाना धाकड के को जायन्दा औलाद नही है जो कि गलत होकर निराधार है। रेस्पोडेंट संख्या 4 ग्राम पंचायत तिलस्वा द्वारा बिना जॉच पडताल दिये यह नामान्तरकरण फैसल किया है जो कि गलत होकर खारिज योग्य है। स्वर्गीय भवाना पिता खाना धाकड निवासी पापडबड की जायन्दा औलाद उनकी पुत्रीया अपीलांट शंकरी रेस्पोडेंट संख्या 1 नन्दु है जो आज दिनांक तक जीवित है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण आदेश पारित करने में भारी त्रुटी की गई है जिसे सुधारा जाना अति–आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ स्वर्गीय भवाना पिता खाना धाकड का मृत्यू प्रमाण पत्र एंव वारिस प्रमाण पत्र पेश किया है जिससे स्पष्ट होता है एंव स्वर्गीय भवाना पिता खाना धाकड ला औलाद फोत नही हुये। ग्राम पंचायत तिलस्वा रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा जो तत्कालीन आदेश दिनांक 24.06.1985 नामान्तरकरण संख्या 164 पर पारित किया है वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के विपरित है बिना जॉच पडताल किये ही इंतकाल खोलने का आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमाकर नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 24.06.1985 ग्राम पापडबड ग्राम पंचायत तिलस्वा द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर नामान्तरकरण अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम पर खोलने का आदेश फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां(भीलवाड़ा) 05/01/18

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने जाहिर किया कि नामान्तरकरण विधिक जॉच के उपरान्त गोदनामा के आधार पर हीरालाल पिता मोडा धाकड के नाम खोला गया है जो उचित है। अपील अपीलांट खारीज फरमाई जावे।

तिलस्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक [illegible] किया गया कि भवाना पिता खाना हमारे पिता थे जिनकी मृत्यू 25.12.1984 को हो गई। रेस्पोडेंट नं0 5 ने सरपंच ग्राम पंचायत तिलस्वा ने नामान्तरकरण पर पारित आदेश में भारी त्रूटी की है। हम भवाना की पुत्रीया है हमारे नाम पर विरासत का नामान्तरकरण खुलना चाहीये था। पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण के अवलोकन से ग्राम पापडबड के 164 में भवाना पिता खाना धाकड की मृत्यू के उपरान्त नामान्तरकरण हीरा मुतबना भवानीलाल के नाम दर्ज किया गया हैं। अपीलांट प्रस्तुत अपील मेमो, शपथ पत्र, से भवाना धाकड की पुत्री है। नामान्तरकरण निर्णित करते वक्त अपीलांट के विधिक वारिसान को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना चाहीये था। मृतक के वारिसान की पूर्ण जॉच नही की गई है नामान्तरकरण पर भू–अभिलेख निरीक्षक ने जॉच कर अंकित किया कि मृत खातेदार के जायन्दा औलाद नही है हीरा का गोदनामा नही है नामान्तरकरण खारीज फरमाया जावे। नामान्तरकरण में ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान की पूर्ण जॉच नही करने से न्याय के नेसर्गिक सिद्वान्त का उलंग्न हुआ है। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट क्रमांक 1 मृतक भवाना की पुत्रीया है हिन्दू उत्तराधिकार कानून के तहत प्रथम श्रेणी की वारीसान है। जिन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना नामान्तरकरण निर्णित करने में पंचायत द्वारा भूल की है। प्रस्तुत अपील उक्त विवेचन से स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है ग्राम पापडबड के नामान्तरकरण संख्या 164 पर ग्राम पंचायत तिलस्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.1985 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बिजौलिया को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक भवाना के विधिक वारिसान की पूर्ण जॉच कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नामान्तरकरण अजसिरे निर्णित करे। आदेश की प्रति पालनार्थ पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को प्रेषित हो।

आज दिनांक 04.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया